भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 296

मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों का प्रवर्तन

296. श्री बी. के. पार्थसारथी:
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा एकल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) और मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अंतर्गत निर्धारित स्थानीय सोर्सिंग आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी और उसे लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार स्थानीय व्यवसायों से खरीद करने वाली एफडीआई-समर्थित खुदरा संस्थाओं का ब्यौरा क्या है और संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी एफडीआई-समर्थित संस्थाओं द्वारा स्थानीय व्यवसायों से की गई खरीद का वर्ष-वार और राज्य-वार मौद्रिक मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार ऐसी सोर्सिंग आवश्यकताओं से लाभान्वित स्थानीय व्यवसायों की संख्या का डेटा रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने, रोजगार सृजन और स्थानीय उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने में उक्त सोर्सिंग मानदंडों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा एफडीआई ढांचे के भीतर स्थानीय व्यवसायों के लिए बाजार तक पहुंच और खरीद के अवसरों को और सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हेतु प्रस्तावित हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): एफडीआई नीति के अनुसार, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है, जबकि मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत निर्धारित

शर्तों के अध्यधीन 51% एफडीआई की अनुमति है। स्थानीय व्यावसायिक हितों की रक्षा करने और इसे बढ़ावा देने के लिए, एसबीआरटी पर एफडीआई नीति का यह अधिदेश है कि 51% से अधिक विदेशी निवेश के मामले में, खरीदे गए माल के मूल्य के 30% की खरीद भारत से की जानी चाहिए, जिसमें सभी क्षेत्रों के एमएसएमई, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, कारीगरों और शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी तरह, एमबीआरटी पर एफडीआई नीति का अधिदेश है कि खरीदे गए विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों की खरीद के मूल्य के कम से कम 30 प्रतिशत की खरीद भारतीय एमएसएमई से की जाए, जिनका संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश 2.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक न हो। कृषि सहकारी समितियों और किसान सहकारी समितियों से खरीद को भी इस श्रेणी में माना जाएगा।

एफडीआई नीति के अनुसार, घरेलू सोर्सिंग की मात्रा कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणित की जाएगी, जिसे बाद में विधिवत प्रमाणित लेखे से सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांचा जाएगा, यह लेखे कंपनी द्वारा बनाए रखना आवश्यक है। इसके अलावा, एफडीआई नीति के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी निवेशक कंपनी पर है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत भारत में निवेश के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान का तरीका और गैर-ऋण लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 के तहत निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, एफडीआई एक पूंजी खाता लेनदेन है और एफडीआई विनियमों का कोई भी उल्लंघन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत आता है। आरबीआई फेमा का प्रबंधन करता है, और वित्त मंत्रालय के तहत प्रवर्तन निदेशालय फेमा के प्रवर्तन के लिए प्राधिकरण है। यह निदेशालय फेमा के किसी भी उल्लंघन की जांच करता है।

(ख) से (ङ): एफडीआई सहायता प्राप्त कंपनियों के आंकडे, जो कि मांगे गए हैं, केन्द्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अप्रैल 2022 से मार्च 2026 के दौरान एसबीआरटी और एमबीआरटी क्षेत्रों सहित खुदरा व्यापार में रिपोर्ट किया गया राज्यवार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह **अनुबंध** में दिया गया है।

(च): सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड सहित खुदरा व्यापार में एफडीआई नीति का उद्देश्य उत्पादन और विपणन में निवेश को आकर्षित करना, उपभोक्ता के

लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार करना, भारत से वस्तुओं की अधिक सोर्सिंग को प्रोत्साहित करना और वैश्विक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन पद्धतियों तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों के अलावा, एमबीआरटी करने वाली कंपनियों के लिए, 100 मिलियन अमरीकी डालर की पहली किश्त में प्राप्त कुल एफडीआई का कम से कम 50 प्रतिशत तीन वर्षों के भीतर बैक-एंड अवसंरचना में निवेश करना अनिवार्य है, जहां बैक-एंड अवसंरचना, में संवितरण, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, ल़ॉजिस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि बाजार उत्पाद अवसंरचना आदि शामिल हैं। बैक-एंड अवसंरचना में बाद में निवेश एमबीआरटी खुदरा विक्रेता द्वारा अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार एफडीआई नीति की सतत् आधार पर समीक्षा करती है और संबंधित हितधारकों के परामर्श से उसमें समय-समय पर परिवर्तन करती है।

अनुबंध

दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 296 के उत्तर के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह - अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक

क्षेत्र: खुदरा व्यापार, उप क्षेत्र: सिंगल ब्रांड

(राशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	संचयी एफडीआई
1	दिल्ली	298.46	246.68	36.43	114.55	91.77	787.89
2	महाराष्ट्र	151.79	207.61	91.82	52.15	38.43	541.79
3	कर्नाटक	34.50	38.04	23.32	23.81	34.75	154.41
4	हरियाणा	1.03	2.43	4.93	9.68	5.55	23.64
5	तमिलनाडु	1.33	2.18	0.60	0.69	1.85	6.66
6	गुजरात	1.34	0.03	0.30	0.28	2.42	4.37
7	पश्चिम बंगाल	0.47	2.55	0.12	0.008	-	3.15
8	उत्तर प्रदेश	0.56	0.62	0.12	0.13	1.08	2.51
9	मध्य प्रदेश	-	-	0.03	0.12	2.26	2.41
10	तेलंगाना	0.0008	0.002	0.04	0.03	0.75	0.83
11	आंध्र प्रदेश	0.14	-	0.01	-	0.36	0.51
12	राजस्थान	-	-	0.29	0.008	-	0.30
13	केरल	0.03	0.05	0.06	0.01	0.0006	0.16
14	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	0.02	0.02
15	गोवा	-	-	0.0006	0.01	0.002	0.01
16	पंजाब	-	-	-	-	0.01	0.01
17	पुडुचेरी	-	-	-	-	0.001	0.001
	कुल:	**489.66**	**500.19**	**158.08**	**201.49**	**179.25**	**1,528.66**

एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह-अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक
क्षेत्र: खुदरा व्यापार, उप क्षेत्र: मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार

(राशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	संचयी एफडीआई
1	महाराष्ट्र	7.47	6.52	7.43	3.26	9.70	34.38
	कुल:	7.47	6.52	7.43	3.26	9.70	34.38

*कुल एफडीआई अंतर्वाह में इक्विटी अंतर्वाह, अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुन: निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल हैं। क्षेत्र/राज्य/देश-वार ब्यौरे केवल एफडीआई अंतर्वाह के इक्विटी घटक के लिए रखे जाते हैं।
